न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0ः–149/2013
CIS NO. TS-294/2018

कपिर अहमद उर्फ हेमन..वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.10.2024 संबंधित धारा 74 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 28.10.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 18.05.2017 को सूची के साथ कागजातों की सच्ची प्रतिलिपि को दाखिल किया गया था, जो लोक दस्तावेज है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल कागजातों/दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 28.10.2024 स्वीकार करते हुए दाखिल	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–149/2013

CIS NO. TS-294/2018

कपिर अहमद उर्फ हेमन...वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 16.11.2024	कागजातों/दस्तावेजों को ग्रहण कर आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 23.12.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	